संख्या:29/2025/1166ई-2/तेरह-2025-1978160

प्रेषक,

दुर्गा सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक: 16 अक्टूबर, 2025

विषय- मेसर्स ज्ञानधारा पशु आहार इकाई, हरदोई की वार्षिक शीरा उपभोग क्षमता 1,00,000 कुण्टल से बढ़ाकर 1,50,000 कुण्टल करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-12/दस-140सी(230)/वा.शी.उ./ज्ञानधारा, दिनांक 29.09.2025 एवं पत्र संख्या-जी-14/दस-140सी(230)/वा.शी.उ./ज्ञानधारा, दिनांक 11.10.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सन्दर्भित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये संस्तुति सहित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत मेसर्स ज्ञानधारा, इण्डस्ट्रीज, प्रा.लि., प्लाट सं.-बी-40 से बी-42 एव बी-66, फेज-2 औद्योगिक क्षेत्र, सण्डीला, हरदोई की वार्षिक शीरा उपभोग क्षमता निम्नलिखित शर्तों के अधीन 1,50,000 कुन्टल प्रतिवर्ष निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(क) इकाई द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निर्गत कंसेंट टू आपरेट अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 26.04.2024 व 23.05.2024 में उल्लिखित शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ख) इकाई द्वारा अग्निशमन विभाग द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 07.06.2025 में उल्लिखित शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ग) इकाई शीरा संचय टैंकों का गेज चार्ट नियमानुसार अनुमोदित करायेगी।

(घ) आबकारी आयुक्त द्वारा इस संदर्भ में लागू अन्य समस्त सुसंगत नियमों/नियमावलियों व शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

कृपया तद्नुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दुर्गा सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in